

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

श्रवणराम व अन्य बनाम मोहनराम व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील/एलआर-75/नं0/2023/161 जिला नागौर

तारीख हुकम	हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.08.2023	<p>अपी0 अधि0 : - श्री गिरीश पारीक</p> <p>पत्रावली बाद जॉच पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक श्री गिरीश पारीक उपस्थित हैं, उन्हे अपील के तथ्यो एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी, द्वारा दिनांक 22.03.2023 को तहसीलदार मकराना द्वारा स्वीकृत ग्राम बेसरोली के नामान्तकरण संख्या 1069 दिनांक 14.03.2023 की कियान्विती आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखी जाकर खसरा नम्बर 43 एवं 54 मे राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये तथा दिनांक 07.07.2023 को प्रार्थी के पक्ष मे जारी स्थगन आदेश को निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है जो कि कानून के मंशा के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी, द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2023 की पालना को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपीलान्ट अधिवक्ता की सुनी बहस पर मनन व स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों, अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी, जिला नागौर के आदेश दिनांक 07.07.2023 के क्रम मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे दिये गये तथ्यो व आदेशिका दिनांक 07.07.2023 से यह साबित है कि तहत न्यायालय द्वारा अपील के विचाराधीन रहते हुए भी स्थगन आदेश को रिकॉल कर लिया, जो कि अनुचित है क्योंकि एक बार स्थगन आदेश देने पर अपील के निस्तारण तक मामले मे यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित होता है। अतः न्यायहित मे अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2023 की पालना व प्रभाव स्थगित किया जाकर विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी, जिला नागौर मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 05/2023 के निस्तारण होने तक यथावत कायम रखी जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हों।</p>	

8/8/23  
संभागीय आयुक्त,  
अजमेर